कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, मदनपुर, शिविर– औरंगाबाद।

Email ID:- eenkcdmadanpur@gmail.com

भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या (NIQ)- 01/2026-27

पत्रांक–................/औरंगाबाद   दिनांक–................................

कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, मदनपुर, शिविर– औरंगाबाद अंतर्गत अवर प्रमंडल पदाधिकारी, उत्तर कोयल नहर अवर प्रमंडल, मदनपुर, शिविर– औरंगाबाद द्वारा परिक्षेत्राधीन नहरों के संचालन, नहरों के निरीक्षण एवं अन्य कार्यालय संबंधी कार्यो हेतु भाड़े पर वाहन (बोलेरो/स्कार्पियों) के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन इच्छुक वाहन मालिक/फर्म से कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। जिसे मोहर बंद लिफाफे में दिनांक–15.04.2026 को 3:00 बजे अपराह्न तक कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, मदनपुर, शिविर– औरंगाबाद कार्यालय में जमा किया जाएगा और दिनांक–15.04.2026 को 3:30 बजे अपराह्न में खोला जाएगा। कोटेशनदाता या उनके प्राधिकृत कोटेशन खुलने के समय उपस्थित रहेगें।

ग्रुप सं0	वाहन उपयोग करने वाले पदाधिकारी का पदनाम	गाड़ी परिचालन का कार्यान्वित अवधि	गाड़ी की संख्या	दर (प्रतिमाह) चालक सहित	अभि0
01	अवर प्रमंडल पदाधिकारी	एकरारनामा कि तिथि 31.03.2027 तक	01	औरंगाबाद समाहरणालय द्वारा अनुसूचित दर के बराबर रू0 17400.00 प्रतिमाह	
02	अवर प्रमंडल पदाधिकारी	एकरारनामा कि तिथि 31.03.2027 तक	01	औरंगाबाद समाहरणालय द्वारा अनुसूचित दर के बराबर रू0 17400.00 प्रतिमाह	

1. कोटेशन आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि : दिनांक– 04.04.2026
2. कोटेशन जमा करने की अवधि : दिनांक– 15.04.2026 को 3:00 बजे अपराह्न।
3. कोटेशन जमा करने का स्थान : कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, मदनपुर, शिविर– औरंगाबाद।
4. कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक– 15.04.2026 को 3:30 बजे अपराह्न।
5. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, मदनपुर, शिविर– औरंगाबाद।

नियम एवं शर्ते

1. भाड़े पर वाहन वित्तीय वर्ष तक अर्थात 31 मार्च 2027 तक के लिए रखा जाएगा।
2. भाड़े की गाड़ी का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं फिटनेस प्रमाण पत्र अद्यतन कोटेशन के साथ समर्पित की जाय।
3. वाहन मालिक का आधार कार्ड, जी0 एस0 टी0, पैन कोटेशन के साथ समर्पित की जाय।
4. कोटेशनदाताओं को वित्तीय दर निम्नांकित प्रपत्र में देना होगा।

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार (निबंधन संख्या सहित)	ईंधन रहित एवं चालक सहित मासिक भाड़ा सभी करों यथा GST, IT etc सहित।

5. वाहन परिवहन विभाग, बिहार सरकार मोटरयान अधिनियम के मानकों के अनुरूप परिचालन योग्य एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
6. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी दैनिक साफ–सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा किया जायेगा। चालक के वेतन का भुगतान आवासन एवं भोजन आदि की व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा किया जायेगा।
7. नियमानुकूल सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क अदेयता (टोल टैक्स को छोड़ कर) की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
8. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए। वाहन का निबंधन व्यवसायिक होना बाध्यकारी है।
9. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध व्यवसायिक ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
10. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म की होगी।
11. वाहन के उपयोग के विरूद्ध मासिक किराया ईंधन रहित देय होगा।
12. वाहन के उपयोग के लिए लौगबुक का संधारण वाहन चालक की जवाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगें जिसके आधार पर वाहन का मासिक किराया ईंधन रहित भुगतान किया जायेगा।
13. कोटेशन दाता के साथ रूपये 500.00 (पाँच सौ) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना बताये एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है।
14. क्रमांक 13 में अंकित भुगतान के अलावा मात्र डीजल फ्यूल, विभाग के द्वारा दिया जायेगा।

15. वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र, बिमा, रोड टैक्स एवं प्रदूषण प्रमाण–पत्र एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र वाहन परिचान के दौरान अद्यतन रखना होगा।
16. आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग दिन एवं रात्री समय में होता है। अतः इस हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क/किराया देय नहीं होगा।
17. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता निजी अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नहीं करेंगें।
18. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारीयों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेगें अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दोगुणा दर से कटौती कर ली जायेगी।
19. कोटेशन कभी भी बिना कारण बताए अधोहस्ताक्षरी द्वारा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
20. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने प्रर नियमानुसार करो की कटौती के पश्चात् भुगतान की जायेगी।
21. अगर सेवा संतोषजनक रहा तो अगले वित्तीय वर्ष में भी सेवा ली जा सकती है।
22. वाहन मालिक/सेवा प्रदाता को वाहन से संबंधित सभी प्रकार के करों अर्थात् GST, Income Tax इत्यादि के भुगतान की देयता स्वयं करना होगा। विभाग/कार्यालय द्वारा मात्र वाहन के उपयोग के विरूद्ध निर्णित मासिक दर से ईंधन रहित देय होगा।
23. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये ईंधन अथवा 10 कि0मी0 प्रति लीटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
24. आवश्यकतानुसार वाहन मुख्यालय से बाहर भी जा सकता एवं हर सकता है उक्त हेतु किसी प्रकार का अतिरिक्त राशि के भुगतान का दावा मान्य नहीं होगा।

इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 01 से 24 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ–पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) के साथ समर्पित करेंगें। एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैध कोटेशनदाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जायेगा। जिसकी सूचना वैध कोटेशनदाता के मोबाईल नं0/Whatsapp/E-mail ID के द्वारा किया जाएगा। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता लॉटरी के समय उपस्थित रहेंगें अथवा इनकी या इनके प्रतिनिधि की उपस्थिति बिना भी लॉटरी किया जाएगा तथा, इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

शपथ पत्र एवं वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।

विश्वासभजन

ह0/–

(ई0 पंकज कुमार)
कार्यपालक अभियंता
उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, मदनपुर
शिविर– औरंगाबाद।

पत्रांक–235/औरंगाबाद दिनांक–04.04.2026

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को लोकप्रिय राष्ट्रीय/स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों/विभागीय बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु समर्पित। (Hard एवं Soft Copy में)

04/04/2026

(ई0 पंकज कुमार)
कार्यपालक अभियंता
उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, मदनपुर
शिविर– औरंगाबाद।

04/04/2026